NEERAJ®

I.B.O. -4

निर्यात-आयात प्रक्रिया और प्रलेखीकरण

(Export-Import Procedures and Documentation)

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Payal Jain*

Serving Education for Last 40 Years

NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Retail Sales Office:
1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6
Mob.: 8510009872, 8510009878
E-mail : info@neerajbooks.com
Website : www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

(Publishers of Educational Books)

Retail Sales Office : 1507, 1st Floor, Nai Sarak, Delhi-110 006

E-mail: info@neerajbooks.com | Website: www.neerajbooks.com

© Copyright Reserved with the Publishers only.

Reprint Edition with Updation of Sample Question Paper Only

Typesetting by: Competent Computers, Printed at: Novelty Printing Press

Disclaimer/T&C

1. *For the best & up-to-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.*
2. *This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board/University.*
3. *These books are prepared by the author for the help, guidance and reference of the student to get an idea of how he/she can study easily in a short time duration. Content matter & Sample answers given in this Book may be Seen as the Guide/Reference Material only. Neither the publisher nor the author or seller will be responsible for any damage or loss due to any mistake, error or discrepancy as we do not claim the Accuracy of these Solutions/Answers. Any Omission or Error is highly regretted though every care has been taken while preparing, printing, composing and proofreading of these Books. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading, etc., are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. Any mistake, error or discrepancy noted may be brought to the publishers notice which shall be taken care of in the next edition and thereafter as a good gesture by our company he/she would be provided the rectified Book free of cost. Please consult your Teacher/Tutor or refer to the prescribed & recommended study material of the university/board/institute/ Govt. of India Publication or notification if you have any doubts or confusions regarding any information, data, concept, results, etc. before you appear in the exam or Prepare your Assignments before submitting to the University/Board/Institute.*
4. *In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.*
5. *The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question paper.*
6. *Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" on Websites, Web Portals, Online Shopping Sites, like Amazon, Flipkart, Ebay, Snapdeal, etc., is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.*
7. *The User agrees Not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit for any commercial purposes, any portion of these Books without the written permission of the publisher. This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.*
8. *All material prewritten or custom written is intended for the sole purpose of research and exemplary purposes only. We encourage you to use our material as a research and study aid only. Plagiarism is a crime, and we condone such behaviour. Please use our material responsibly.*
9. *All matters, terms & disputes are subject to Delhi Jurisdiction only.*

Get books by Post & Pay Cash on Delivery :

If you want to Buy NEERAJ BOOKS by post then please order your complete requirement at our Website www.neerajbooks.com where you can select your Required NEERAJ BOOKS after seeing the Details of the Course, Subject, Printed Price & the Cover-pages (Title) of NEERAJ BOOKS.

While placing your Order at our Website www.neerajbooks.com You may also avail the "Special Discount Schemes" being offered at our Official website www.neerajbooks.com.

No need to pay in advance as you may pay "Cash on Delivery" (All The Payment including the Price of the Book & the Postal Charges, etc.) are to be Paid to the Delivery Person at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us. We usually dispatch the books Nearly within 3-4 days after we receive your order and it takes Nearly 4-5 days in the postal service to reach your Destination (In total it take nearly 8-9 days).

CONTENTS

निर्यात-आयात प्रक्रिया और प्रलेखीकरण
(Export-Import Procedures and Documentation)

Question Bank – (Previous Year Solved Question Papers)

Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved)	1-2
Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved)	1-4
Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved)	1-5
Question Paper—December, 2019 (Solved)	1
Question Paper—June, 2019 (Solved)	1-3
Question Paper—December, 2018 (Solved)	1-5
Question Paper—June, 2018 (Solved)	1-2
Question Paper—December, 2017 (Solved)	1
Question Paper—June, 2017 (Solved)	1-2
Question Paper—December, 2016 (Solved)	1-4
Question Paper—June, 2016 (Solved)	1-2
Question Paper—December, 2015 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2015 (Solved)	1
Question Paper—June, 2014 (Solved)	1-2
Question Paper—June, 2013 (Solved)	1
Question Paper—June, 2012 (Solved)	1-2
Question Paper—December, 2011 (Solved)	1

S.No. ***Chapterwise Reference Book*** *Page*

निर्यात-आयात व्यापार प्रलेखीकरण एवं नीतियाँ
(Export-Import Documentation and Policies)

1.	निर्यात-आयात व्यापार : नियामक ढाँचा **(Export-Import Trade: Regulatory Framework)**	1
2.	निर्यात विक्रय अनुबंध **(Export Sales Contract)**	14
3.	निर्यात-आयात प्रलेख : विहंगावलोकन **(Export-Import Documents: An Overview)**	23

S.No.	Chapter	Page
4.	इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज प्रणाली (Electronic Data Interchange System–EDI)	40
5.	निर्यात आदेश सम्बन्धी कार्यवाही (Processing of an Export Order)	51
	भुगतान की शर्तें तथा वित्तीय कार्य प्रणालियाँ (Terms of Payment and Financing Practices)	
6.	भुगतान की शर्तें (Terms of Payment)	59
7.	विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विनियम तथा निर्यात सम्बन्धी सुविधाएँ (Exchange Control Regulations and Facilities Concerning Export)	69
8.	निर्यात वित्त (Export Finance)	74
9.	निर्यात ऋण बीमा (Export Credit Insurance)	84
10.	आयात वित्त (Import Finance)	92
	निर्यात-आयात व्यापार प्रचालन (Export-Import Trade Operations)	
11.	पोत परिवहन की तैयारी (Preparing for Shipment)	99
12.	जहाजी माल का बीमा (Cargo Insurance)	107
13.	निर्यात माल का पोत परिवहन (Shipping of Export Cargo)	115
14.	आयात माल की सीमा शुल्क निकासी (Customs Clearance of Import Cargo)	122

S.No.	Chapter	Page
	निर्यात सहायता तथा समर्थन कार्य (Export Assistance and Support Measures)	
15.	भारत में निर्यात संवर्धन का संस्थागत ढाँचा (Institutional Set-up for Export Promotion in India)	129
16.	भारत में निर्यात सहायता (Export Assistance in India)	136
17.	निर्यात सहायता सम्बन्धी दावों की कार्यविधियाँ (Procedures for Claiming Export Incentives)	141

■ ■

Sample Preview
of the
Solved
Sample Question
Papers

Published by:

NEERAJ
PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

Exam Held in
March – 2022

(Solved)

निर्यात-आयात प्रक्रिया और प्रलेखीकरण I.B.O.-4

(Export-Import Procedures and Documentation)

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : खण्ड 'अ' तथा खण्ड 'ब' दोनों कीजिए।

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

खण्ड-अ

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर टिप्पणियाँ लिखिए

(क) उदार आयात नीति निर्यात को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

उत्तर संदर्भ देखें अध्याय-1, पृष्ठ-3, 'विदेशी व्यापार नीति के उद्देश्य'

(ख) सामुद्रिक बीमा पॉलिसी के मूलभूत सिद्धान्त के अनुसार दावे के लिए बीमाकृत व्यक्ति को अपने दायित्व को पूरा करना आवश्यक है।

उत्तर संदर्भ देखें अध्याय-12, पृष्ठ-110, 'बीमा दावे'

(ग) निर्यात का भुगतान प्राप्त करने का सबसे सुरक्षित उपाय साख पत्र के अंतर्गत निर्यात करना है।

उत्तर संदर्भ देखें अध्याय-6, पृष्ठ-60, 'प्रलेखीय साख'

(घ) निकासी और अग्रेषण एजेन्ट निर्यात-आयात व्यापार में अत्यधिक विशिष्ट सेवा प्रदान करते हैं।

उत्तर संदर्भ देखें अध्याय-5, पृष्ठ-53, 'निकासी तथा अग्रेषण एजेन्टों की नियुक्ति'

(ङ) एक्स-वर्क अनुबंध में विक्रेता का दायित्व न्यूनतम होता है।

उत्तर एक्स वर्क (कभी-कभी EXW या Ex-Works के रूप में दिखाया जाता है) एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग शब्द या Incoterm है। यह माल भेजने की प्रक्रिया में शिपर (आमतौर पर आपूर्तिकर्ता) और कंसाइनी (आमतौर पर खरीदार) के बीच जिम्मेदारी के विभाजन को आवंटित करती हैं। एक्स वर्क्स शिपिंग शर्तों के तहत पूरी परिवहन प्रक्रिया के दौरान विक्रेता की एकमात्र जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि वे जो सामान बेच रहे हैं, उन्हें उनके परिसर में संग्रह के लिए उपलब्ध कराया गया है। 'एक्स वर्क्स' का अर्थ है कि विक्रेता ने सामान वितरित किया है, जब वह खरीदार के निपटान में अपने (विक्रेता के) परिसर में या किसी अन्य नामित स्थान (यानी, काम करता है, कारखाना, गोदाम, आदि) पर सामान रखता है। बिक्री के एक्स वर्क्स अनुबंध के तहत विक्रेता को किसी भी संग्रह वाहन पर माल लोड करने की आवश्यकता नहीं होती है, न ही उसे निर्यात के लिए माल को खाली करने की आवश्यकता होती है, जहां ऐसी मंजूरी लागू होती है।

(च) निर्यात साख गारंटी निगम (ECGC) यह प्रत्यन करता है कि निर्यात व्यापार में हानि कम-से-कम हो।

उत्तर संदर्भ देखें अध्याय-9, पृष्ठ-86, 'निर्यातकर्ता एक सह-बीमाकर्ता है'

खण्ड-ब

नोट निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 2. निर्यात प्रलेखन का क्या औचित्य है? क्या यह सत्य है कि बिना प्रलेखों के निर्यात नहीं किया जा सकता है? पिछले कुछ वर्षों में प्रलेखों के सरलीकरण की दिशा में कौन-से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर संदर्भ देखें अध्याय-3, पृष्ठ-23, 'प्रलेखों की आवश्यकता', पृष्ठ 24, 'प्रलेखों के प्रकार तथा कार्य', पृष्ठ-32, प्रश्न 2, पृष्ठ-36, प्रश्न 9 (ब)

प्रश्न 3. भारत में निर्यात संवर्धन के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों की क्या भूमिका है? किसी एक परिषद् के कार्य का उल्लेख करते हुए अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए।

mÙkj lanHkZ देखें अध्याय-15, पृष्ठ-129, 'निर्यात संवर्धन परिषदें तथा वस्तु बोर्ड', पृष्ठ-132, प्रश्न 1, प्रश्न 2

प्रश्न 4. भारत में निर्यात के लिए वित्तीय सहायता देने में आयात-निर्यात बैंक (Exim Bank) की क्या भूमिका है? क्या वह आयात में भी वित्तीय सहायता देते हैं? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर संदर्भ देखें अध्याय-8, पृष्ठ-77, 'भारतीय निर्यात आयात बैंक की भूमिका', पृष्ठ-83, प्रश्न 4, अध्याय-10, पृष्ठ-97, प्रश्न 5 *(iii)*'

प्रश्न 5. निर्यातकों को इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज प्रणाली के माध्यम से क्या रणनीतिक लाभ हैं? स्पष्ट कीजिए। निर्यातक गृहों को क्या लाभ है? व्याख्या कीजिए।

उत्तर संदर्भ देखें अध्याय-4, पृष्ठ-40, 'परिचय', 'परिभाषा', पृष्ठ-41, 'ई.डी.आई. के लाभ'

प्रश्न 6. गुणवत्ता नियंत्रण और पोत लदान पूर्ण निरीक्षण के लिए कौन-सी तीन पद्धतियाँ हैं? उनके गुण और अवगुणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर संदर्भ देखें अध्याय-11, पृष्ठ-101, 'गुणवत्ता नियंत्रण तथा पोत लदान पूर्ण निरीक्षण'

प्रश्न 7. निम्नलिखित में से किन्हीं *दो* पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए

(क) अंतरदेशी कंटेनर डिपो

उत्तर अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, जिन्हें आईसीडी के रूप में जाना जाता है, सूखे बंदरगाह हैं जो कंटेनरीकृत कार्गो के साथ-साथ खाली स्थानों को संभालने और अस्थायी भंडारण के लिए सुसज्जित हैं। इसका अर्थ यह है कि दूरदराज के ग्राहक अपने परिसर के करीब बंदरगाह सेवाएं अधिक सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। सार्वजनिक प्राधिकरण की स्थिति के साथ एक सामान्य उपयोगकर्ता सुविधा, जो निश्चित प्रतिष्ठानों से सुसज्जित है और सीमा शुल्क नियंत्रण के तहत किए गए आयात/निर्यात से लदे और खाली कंटेनरों के अस्थायी भंडारण और घरेलू उपयोग, भंडारण, अस्थायी प्रवेश के लिए माल की निकासी के लिए सक्षम सीमा शुल्क और अन्य एजेंसियों के साथ पुन: निर्यात, आगे के पारगमन और एकमुश्त निर्यात के लिए अस्थायी भंडारण सेवाएं प्रदान करता है। जैसी उनका प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कार्गो आवागमन के अंतर्देशीय परिवहन चरण पर कंटेनरीकरण के लाभों को महसूस करने की अनुमति देना है। ऐसे आईसीडी की सूची जो पूरे भारत में काम कर रही है, सभी निर्यातकों को अधिकतम लाभ देने के लिए उनके संपर्क विवरण के साथ कृषि व्यापार पोर्टल के इस खंड में प्रदान की गई है। कोई भी अपने नाम या शहर के नाम से आईसीडी खोज सकता है।

(ख) निर्बंध जहाजी बिल्टी

उत्तर लदान का स्वच्छ बिल यह लदान का सबसे पसंदीदा बिल है। क्लॉज्ड बिल ऑफ लैडिंग को प्राथमिकता नहीं दी जाती है क्लीन बिल ऑफ लैडिंग को तब जारी किया जाता है, जब खेप की पूरी तरह से जांच करने पर बिना किसी दोष के सही स्थिति में पाया जाता है।

1. जबकि क्लॉज्ड बिल ऑफ लैडिंग तब जारी की जाती है जब कंसाइनमेंट किसी भी रूप में दोषपूर्ण पाया जाता है और इसलिए एक क्लॉज यह बताता है कि खेप में एक विशेष दोष है जैसा कि खंड में परिभाषित किया गया है।

2. "क्लीन" बिल ऑफ लैडिंग तब जारी किया जाता है जब खेप के सकल वजन की जांच की जाती है और इसे सटीक पाया जाता है। "क्लॉज्ड" बिल ऑफ लैडिंग तब जारी किया जाता है जब कमर्शियल इनवॉयस में दिया गया ग्रॉस वेट बिल ऑफ लैडिंग में एक क्लॉज से कम या ज्यादा होता है।

3. जब खेप की जाँच करने पर कंटेनर का माप वही होता है जो वाणिज्यिक चालान में दिया जाता है तो 'स्वच्छ' लदान का बिल जारी किया जाता है। यदि कंसाइनमेंट का माप वाणिज्यिक चालान में दिए गए माप से भिन्न होता है, तो एक "क्लॉज्ड" बिल ऑफ लैडिंग जारी किया जाता है।

4. यदि बीमा पॉलिसी खेप की लागत को कवर करती है तो एक स्पष्ट लदान बिल जारी किया जाता है।

यदि बीमा पॉलिसी को वाणिज्यिक चालान में दी गई लागत से अधिक बढ़ा दिया जाता है तो एक क्लॉज्ड बिल ऑफ लैडिंग जारी किया जाता है।

इसे भी देखें संदर्भ अध्याय-3, पृष्ठ-30, प्रश्न 4

(ग) पैकेजिंग ऋण

उत्तर संदर्भ देखें अध्याय-8, पृष्ठ-74, 'पैकिंग ऋण'

(घ) शुल्क मुक्त आयात लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया

उत्तर संदर्भ देखें अध्याय-17, पृष्ठ-146, प्रश्न 4

■■

QUESTION PAPER

Exam Held in
August – 2021

(Solved)

निर्यात–आयात प्रक्रिया और प्रलेखीकरण I.B.O.-4
(Export-Import Procedures and Documentation)

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : खण्ड 'अ' तथा खण्ड 'ब' दोनों कीजिए।

खण्ड–अ

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर टिप्पणियाँ लिखिए

(क) व्यापार नीति, आर्थिक नीति के कई साधनों में से एक है जिसका उपयोग आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।

उत्तर व्यापार नीति एक आर्थिक नीति है, जो उन निर्णयों, राजनीतियों और उपकरणों से संबंधित है, जो एक अर्थव्यवस्था के विदेशी व्यापार क्षेत्र और आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। वाणिज्यिक नीति में यह तय किया जाना है कि देश का निर्यात और आयात क्या होगा, क्या विदेशी व्यापार क्षेत्र में उपभोक्ता देयता या उत्पादक माल शामिल होंगे और क्या व्यापार मुक्त या प्रतिबंधित होगा? तीव्र आर्थिक विकास व्यापार नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। व्यापार नीति वास्तविक ब्याज दर और निवेश पर इसके परिणामी प्रभाव को नियंत्रित करके आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती है। सभी अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति और अपस्फीति से पीड़ित हैं। इसे मूल्य अस्थिरता भी कहा जा सकता है। मुद्रास्फीति और अपस्फीति, दोनों अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हैं। इस प्रकार, मूल्य स्थिरता का उद्देश्य रखने वाली व्यापार नीति रुपए के मूल्य को स्थिर रखने की कोशिश करती हैं।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध शब्दावली (इंकोटर्म्स) एक ऐसा समझौता है, जो आपस में व्यापार करने वाले दो देशों के मध्य होता है।

उत्तर इंकोटर्मस या अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक शर्तें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य कानून से संबंधित इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) द्वारा प्रकाशित पूर्व-परिभाषित व्यावसायिक शर्तों की एक श्रृंखला है। वे व्यापक रूप से अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक लेन-देन या खरीद प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाते हैं और उनका उपयोग व्यापार परिषदों, अदालतों और अंतर्राष्ट्रीय वकीलों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। सामान्य अनुबंध बिक्री प्रथाओं से संबंधित तीन-अक्षर के व्यापार की शर्तों की एक श्रृंखला, इंकोटर्मस के नियमों का मुख्य उद्देश्य वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और माल की डिलीवरी के साथ जुड़े कार्यों, लागतों और जोखिमों को स्पष्ट रूप से संवाद करना है। विक्रेता, विक्रेता से खरीदार तक माल की डिलीवरी में शामिल संबंधित दायित्वों, लागतों और जोखिमों को परिभाषित करते हुए बिक्री अनुबंधों को सूचित करते हैं, लेकिन वे खुद अनुबंध नहीं करते हैं, कीमत देय, मुद्रा या क्रेडिट शर्तों का निर्धारण करते हैं, अनुबंध कानून को परिभाषित करते हैं या जहां परिभाषित करते हैं।

इंकोटर्मस नियमों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली शर्तों की व्याख्या के लिए दुनिया भर में सरकारों, कानूनी अधिकारियों और चिकित्सकों द्वारा स्वीकार किया जाता है। उनका उद्देश्य विभिन्न देशों में नियमों की अलग-अलग व्याख्या से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितताओं को कम करना या हटाना है। जैसे कि वे नियमित रूप से दुनिया भर में बिक्री अनुबंधों में शामिल होते हैं।

इंकोटर्मस ICC का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तों पर (ICC) द्वारा प्रकाशित पहला काम 1923 में जारी किया गया था, जिसके पहले संस्करण को 1936 में इंकोटर्मस के रूप में जाना गया। इंकोटर्मस के नियमों में 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 और 2000 में संशोधन किया गया था। आठवां संस्करण-Incoterms 2010 - 1 जनवरी, 2011 को प्रकाशित किया गया था। (ICC) ने इंकोटर्मस के एक नए संशोधन पर परामर्श शुरू किया है, जिसे इंकोटर्मस 2020 कहा जाएगा।

(ग) व्यापारिक बीजक सभी व्यापारिक प्रलेखों में सर्वप्रथम एक आधारभूत तथा एकमात्र सम्पूर्ण व्यापारिक

प्रलेख है जो निर्यात अनुबंध के दायित्वों को पूरा करने के लिए होता है।

उत्तर संदर्भ देखें अध्याय-3, पृष्ठ-24, 'व्यापारिक प्रलेख', 'व्यापारिक बीजक'

(घ) निर्यात आदेश प्राप्त करने में भुगतान की शर्तें प्रायः अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

उत्तर संदर्भ देखें अध्याय-6, पृष्ठ-65, प्रश्न 1

(ङ) सूचना टेक्नोलॉजी के प्रबंधकों के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज प्रणाली एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में स्थापित हो चुकी है।

उत्तर संदर्भ देखें अध्याय-4, पृष्ठ-40, 'परिचय', 'परिभाषा', पृष्ठ-41, 'ई.डी.आई. के लाभ'

(च) पोत परिवहन सम्मेलन पोत स्वामियों के मध्य प्रतियोगिता समाप्त करता है, जिसके फलस्वरूप हानि न्यूनतम हो जाती है और लाभ अधिकतम हो जाता है।

उत्तर संदर्भ देखें अध्याय-11, पृष्ठ-100, 'सम्मेलन प्रथा (Conference Practice)'

खण्ड-ब

नोट निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 2. विदेशी व्यापार के लिए हमें विनियामक ढाँचे की आवश्यकता क्यों होती है? इस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई विभिन्न संस्थाओं के नाम बताते हुए विनियामक ढाँचे की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

उत्तर संदर्भ देखें अध्याय-1, पृष्ठ-1, 'परिचय', 'विधिक ढाँचा'

प्रश्न 3. निर्यात आदेश प्राप्त करने से लेकर निर्यात किए गए सामान का भुगतान प्राप्त करने तक आवश्यक सभी कार्यों का एक प्रवाह चार्ट बनाते हुए वर्णन कीजिए।

उत्तर संदर्भ देखें अध्याय-5, पृष्ठ-58, प्रश्न 6, पृष्ठ-51, 'निर्यात आदेश की जांच तथा उसका पुष्टिकरण', पृष्ठ-52, 'माल का विनिर्माण अथवा क्रय', पृष्ठ-53, 'पोतलदान पूर्व निरीक्षण', पृष्ठ-55, बैंक प्रलेखों की प्रस्तुति', पृष्ठ-56, 'निर्यात प्रोत्साहनों के लिए दावा देश करना'

प्रश्न 4. "निर्यात अनुबंध के अंतर्गत साख पत्र क्रेता तथा विक्रेता के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करता है।" चर्चा कीजिए।

उत्तर साख पत्र एक वित्तीय संस्थान, या इसी तरह की पार्टी द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है, जो माल या सेवाओं के विक्रेता को भुगतान का आश्वासन देता है, बशर्ते कि कुछ दस्तावेज बैंक को प्रस्तुत किए गए हों।

"लेटर ऑफ क्रेडिट" ऐसे दस्तावेज हैं, जो साबित करते हैं कि विक्रेता ने एक अंतर्निहित अनुबंध (जैसे, माल अनुबंध की बिक्री) द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन किया है और सामान/सेवाओं की आपूर्ति सहमति के अनुसार की गई है। इन दस्तावेजों के बदले में, लाभार्थी को पत्र जारी करने वाले वित्तीय संस्थान से भुगतान प्राप्त होता है। क्रेडिट का पत्र विक्रेता को गारंटी के रूप में कार्य करता है कि इसका भुगतान किया जाएगा चाहे खरीदार अंततः भुगतान करने में विफल रहता है या नहीं। इस तरह, जो जोखिम खरीदार भुगतान करने में विफल रहेगा, वह विक्रेता से पत्र जारीकर्ता को स्थानांतरित कर दिया जाता है। पत्र का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए भी किया जा सकता है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा सभी सहमत मानकों को पूरा किया जाता है, बशर्ते कि ये आवश्यकताएं क्रेडिट पत्र में वर्णित दस्तावेजों में परिलक्षित हों। यह कहना बिल्कुल सही है कि निर्यात आय में साख पत्र भुगतान का सबसे सुरक्षित तरीका है। साख पत्र एक बैंक का एक पत्र है जो गारंटी देता है कि विक्रेता को खरीदार का भुगतान समय पर और सही राशि के लिए प्राप्त होगा। एल/सी आदर्श रूप से अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में उपयोग किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विक्रेता द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाएगा। निर्यात-आयात लेनदेन के लिए एल/सी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण क्यों है, इसका मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में शामिल कारक हैं, जैसे दूरी, संबंधित देशों में अलग-अलग कानून और खरीदार और विक्रेता के बीच आमने-सामने बातचीत की अनुपस्थिति आदि। यह एक तथ्य है कि निर्यातक या आयातक, जो विभिन्न देशों में स्थित हैं, एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। कई बार क्रेता की साख की समस्या दोनों के बीच व्यापार को बाधित करती है। शायद एक विक्रेता या निर्यातक के रूप में एल/सी को भुगतान मोड के रूप में उपयोग करने में सबसे अधिक लाभ यह है कि खरीदार माल के बारे में किसी भी शिकायत के कारण भुगतान करने से इनकार नहीं कर सकता है और खरीदार को अपनी शिकायत या दावा अलग से उठाना पड़ता है।

प्रश्न 5. निर्यात किए गए सामान का भुगतान प्राप्त करने के लिए निर्यातक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत क्या करना आवश्यक है?

उत्तर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 भारत में निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित भारत के बाहर सभी शाखाओं, कार्यालयों तथा अभिकरणों पर प्रयोज्य है। फेमा का आविर्भाव एक निवेशक अनुकूल विधान के रूप में हुआ है जो इस अर्थ में पूर्णतया सिविल विधान है कि इसके उल्लंघन में केवल मौद्रिक शास्तियों तथा अर्थदंड का भुगतान ही शामिल है, तथापि इसके तहत किसी व्यक्ति को सिविल कारावास का दंड तभी दिया जा सकता है। यदि वह नोटिस की तिथि से 90 दिन के भीतर निर्धारित अर्थदंड अदा न करे किन्तु ऐसा भी

'कारण बताओ नोटिस' तथा वैयक्तिक सुनवाई की औपचारिकताओं के पश्चात ही किया जाता है। फेमा में फेरा के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए एक द्विपक्षीय समाप्ति खंड की व्यवस्था भी की गई है, जिसे एक 'कठोर' कानून से दूसरे 'उद्योग अनुकूल' विधान की ओर संचलन के लिए प्रदान की गई संक्रमण अवधि माना जा सकता है।

फेमा के उद्देश्य

(i) विदेशी व्यापार तथा भुगतानों को सुकर बनाना; तथा

(ii) विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास तथा अनुरक्षण का संवर्धन करना।

अधिनियम में फेमा के प्रशासन में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एक महत्वपूर्ण भूमिका समनुदेशित की गई है। अधिनियम की अनेक धाराओं से संबंधित नियम, विनियम तथा मानदंड केन्द्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अधिनियम में केन्द्र सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित जांच करने के लिए न्याय निर्णयन प्राधिकारियों के समतुल्य हो केन्द्र सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति करे। न्याय निर्णयन प्राधिकारियों के आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक या अधिक विशेष निदेशक (अपील) की नियुक्ति करने का प्रावधान भी किया गया है। केन्द्र सरकार न्याय निर्णय प्राधिकारियों तथा विशेष निदेशक (अपील) के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक विदेशी मुद्रा अपीलीय न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी करेगा। फेमा में केन्द्र सरकार द्वारा एक प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की व्यवस्था भी की गई है जिसमें एक निदेशक तथा ऐसे अन्य अधिकारी या अधिकारी वर्ग होंगे जिन्हें वह इस अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघनों की जांच-पड़ताल करने के लिए उपयुक्त समझे।

फेमा में अधिकृत व्यक्ति फेमा में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में लेन-देन करने की अनुमति दी गई है। अधिनियम के अंतर्गत ऐसे अधिकृत व्यक्ति का अर्थ है अधिकृत डीलर, मनी चेंजर, विदेशी बैंकिंग यूनिट या कोई अन्य व्यक्ति जिसे तत्समय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। इस प्रकार अधिनियम में किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रतिषिद्ध किया गया है जो

किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति का लेन-देन करना या अंतरित करना जो अधिकृत व्यक्ति नहीं है।

भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को या उसके क्रेडिट के लिए किसी भी तरीके से कोई भुगतान करना।

भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के आदेश से या उसकी ओर से किसी भी तरीके से कोई भुगतान अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अन्यथा प्राप्त करना।

भारत में कोई वित्तीय लेन-देन करना, जो भारत में निवासी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी परिसम्पत्ति को अधिगृहित करने के अधिकार के अधिग्रहण या सृजन अथवा अंतरण के लिए या उससे संबद्ध प्रतिफल के रूप में हो, जिसने भारत के बाहर अवस्थित कोई अचल सम्पत्ति या कोई विदेशी मुद्रा, अथवा विदेशी प्रतिभूति का अर्जन किया है, धारण किया है, स्वामित्व ग्रहण किया है या उसका अंतरण किया है। यह अधिनियम दो प्रकार के विदेशी मुद्रा लेन देनों से संबंधित कार्रवाई करता है।

फेमा 1999 की प्रस्तावना बाहरी व्यापार तथा भुगतान को सुगम बनाने तथा भारत में विदेशी मुद्रा के व्यवस्थित विकास एवं रख-रखाव के उद्देश्य हेतु विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित कानून में संशोधन हेतु। फेमा, 1999 जून 1, 2000 से लागू हुआ तथा फेरा, 1973 निरसित किया गया।

जी खाता लेनदेन तथा लेन-देन जी खाता लेनदेन का अर्थ है, वह लेन-देन जो भारत में निवासी व्यक्तियों अथवा भारत से बाहर संपार्श्विक देयताओं अथवा भारत में आस्तियों अथवा देयताओं, भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों सहित, आस्तियों अथवा परिसम्पत्तियों को बदल दे।

भारत में किसी कंपनी अथवा किसी बॉडी कारपोरेट द्वारा निवेश तथा भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा उसमें निवेश याने भारत में व्यक्तियों के संघ अथवा स्वत्वधारी अथवा फर्म की पूंजी को भारत से बाहर निवासी व्यक्ति योगदान के रूप में निवेश।

भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा/को मुद्रा/मुद्रा नोटों का आयात तथा निर्यात।

चालू खाता लेन-देन चालू खाता लेन-देन वह लेन-देन है जो पूंजी खाता लेन-देन के अलावा है तथा ऐसे लेन-देन के सामान्य पूर्वाग्रह के बिना है यानी विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में देय भुगतान, अन्य चालू व्यवसाय सेवाएं तथा लघु-अवधि बैंकिंग तथा आम व्यवसाय में ऋण सुविधाएं।

विदेश यात्रा, शिक्षा, माता-पिता, पति/पत्नी तथा बच्चों की चिकित्सा के सम्बन्ध में व्यय।

विदेश में रह रहे बच्चों तथा पति/पत्नी एवं माता-पिता के रहने के व्यय हेतु प्रेषण।

फेमा के अन्तर्गत बैंकों तथा अन्य अधिकृत व्यक्तियों को अनुदेश जारी करना।

अनुदेश देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक प्राधिकृत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने समय समय पर फेमा अधिसूचनाएं तथा ए पी (डी आई आर सीरीज) परिपत्र जारी किए हैं।

प्रश्न 6. आयात माल की सीमा शुल्क निकासी की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में कौन-सी प्रक्रियाएँ और संबंधित प्रलेख आवश्यक हैं?

उत्तर संदर्भ देखें अध्याय-14, पृष्ठ-123, 'सीमा शुल्क निकासी की प्रक्रिया'

प्रश्न 7. निम्नलिखित में से किन्हीं *दो* पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए

(क) क्रेता साख

उत्तर संदर्भ देखें अध्याय-8, पृष्ठ-77, '*(b)* क्रेता की साख'

(ख) भारतीय विवाचन परिषद

उत्तर संदर्भ देखें अध्याय-15, पृष्ठ-130, 'भारतीय विवाचन परिषद'

(ग) निर्यात निष्पादन गारंटी

उत्तर निर्यात निष्पादन गारंटी निर्यातक एवं खरीदार के बीच उत्पन्न किसी विवाद में निर्यातक द्वारा माल के अग्रेषण में खरीदार से भुगतान को संचयी खाते तक जाने से रोकता है. यह किसी बैंक को निर्यातकों की ओर से दी गई गारंटियों के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक प्रति-गारंटी के समान है।

मध्यम/दीर्घावधि ऋण पर निर्यात से संबंधित बोली बांडों, विदेशी परियोजनाओं और भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के साथ-साथ ऐसी परियोजनाओं की आपूर्ति के मामले में, निर्धारित प्रीमियम के 25% के भुगतान पर गारंटी दी जाती है। यदि निर्यातक बोली में सफल हो जाता है और अनुबंध प्राप्त कर लेता है तो 75% की शेष राशि बैंकरों द्वारा देय हो जाती है।

(घ) निर्यात निरीक्षण की स्व-प्रमाणीकरण योजना

उत्तर संदर्भ देखें अध्याय-11, पृष्ठ-103, प्रश्न 5, पृष्ठ-102, 'स्व-प्रमाणीकरण'

■■

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

Sample Preview
of
The Chapter

Published by:

NEERAJ
PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

निर्यात-आयात प्रक्रिया और प्रलेखीकरण
(Export-Import Procedures and Documentation)

निर्यात-आयात व्यापार प्रलेखीकरण एवं नीतियाँ
(Export-Import Documentation & Policies)

निर्यात-आयात व्यापार : नियामक ढाँचा 1
(Export-Import Trade: Regulatory Framework)

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

परिचय

भारत एक विकासशील देश है, जहाँ अनेक व्यापार नीतियों को आर्थिक प्रविधियों से जोड़ा गया है। इन आर्थिक प्रविधियों का उपयोग मुख्य रूप से आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने हेतु किया जाता है। भारत के अन्तर्गत चलाई जाने वाली नीति के अन्तर्गत दो उद्देश्यों को मुख्य माना गया है

1. निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देना।
2. आयात के इस स्तर को सरकार के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा तक सीमित करना।

भारत जैसे विकासशील देश की मुख्य समस्याओं के अन्तर्गत पूँजीगत पदार्थों की उपलब्धता न होना, औद्योगिक कच्चे माल की कमी होना तथा प्रौद्योगिकी जैसे आगतों की उचित उपलब्धता न होना आदि आता है। इन सभी समस्याओं से निजात पाने हेतु इन सभी वस्तुओं का आयात किया जाता है। अल्पकालीन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आयातों के वित्तीयन हेतु विदेशी सहायताओं तथा अल्पकालीन ऋणों की सहायता भी ली जाती रही, परन्तु दीर्घकाल में यह अनिवार्य था कि आयातों का वित्तीयन करने हेतु निर्यात आय में वृद्धि की जाए। इस प्रकार निर्यात संवर्धन तथा आयात प्रबन्ध के साधनों के मध्य उचित व्यापार नीतियों को बनाया जाना अति अनिवार्य था। समय के साथ-साथ इन नीतियों में कई तरह के परिवर्तन हुए। अत: इस इकाई के अन्तर्गत हम इन्हीं नीतियों, एवं निर्यात-आयात व्यापार के नियामक ढाँचे के विषय में चर्चा करेंगे।

अध्याय का विहंगावलोकन

विधिक ढाँचा

विदेशी व्यापार के अन्तर्गत मुख्यत: दो प्रकार के आवगमन होते हैं एक सेवाओं का तथा दूसरा वस्तुओं का। इन दोनों प्रकार के आवागमन के द्वारा ही विदेशी मुद्राओं के अन्तर्प्रवाह व उत्प्रवाह को बढ़ावा मिलता है। भारत के अन्तर्गत विदेशी व्यापारों का समस्त नियन्त्रण विदेश व्यापार विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1992 व उसके नियमों तथा आदेशों के द्वारा ही किया जाता है। विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम 1999 के अन्तर्गत निर्यात व आयात लेन-देनों से सम्बन्धित विदेशी मुद्राओं के भुगतान को तथा इस भुगतान के विनियमन विदेशी मुद्रा प्रबन्ध के लेन-देन को देखा जाता है। यहाँ पर वस्तुओं तथा सेवाओं को विभिन्न साधनों द्वारा होने वाले यातायात सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। साथ ही अच्छी वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादक व निर्यातकर्त्ता के रूप में निर्यात गुणवत्ता नियन्त्रण व निरीक्षण अधिनियम 1962 में गुणवत्ता नियन्त्रण व पोत लदान पूर्व निरीक्षण

www.neerajbooks.com

प्रावधानों को भी सम्मिलित किया जाता है। विदेशी व्यापार विनियमन के उपर्युक्त अधिनियमों के अलावा भी कुछ ऐसे अधिनियम हैं, जिनका आयात-निर्यात व्यापार करने में पूर्ण पालन करना होता है। ये अधिनियम निम्नलिखित हैं

1. वस्तुओं के निर्यात से सम्बन्धित अधिनियम।
2. यातायात के साधनों से सम्बन्धित अधिनियम।
3. माल के बीमे से सम्बन्धित अधिनियम।
4. अनेक अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटियाँ आदि।

अत: विदेशी व्यापार नियन्त्रण के मुख्य अधिनियमों के विषय में जानना अति अनिवार्य है। अत: इनके उद्देश्य व मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं

विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1992 विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1992 के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित थे

(a) विदेशी विनियमन नियम तथा विदेशी व्यापार की कुछ मुख्य स्थितियों को लागू किया गया।

(b) वर्ष 1993 से पूर्व की विधिक पद्धति जिसमें आयात तथा निर्यात नियन्त्रण अधिनियम को अपनाया गया व 1947 व इसके अन्तर्गत जारी किये गये अधिनियमों को लिया गया व समय-समय पर इनमें अनेक संशोधन भी किये गये।

संशोधित किये जाने वाले आयात आदेश 1955 तथा निर्यात आदेश नियन्त्रण को 1988 में प्रतिस्थापित किया गया। इस प्रकार नई विधिक पद्धति के लागू होने से विदेशी व्यापार नियन्त्रण का अन्त हो गया।

इस अधिनियम के अन्तर्गत अनेक प्रकार के उद्देश्यों को भी सम्मिलित किया गया ताकि आयात से सम्बन्धित सुविधायें प्रदान की जा सकें तथा निर्यात से सम्बन्धित प्रोत्साहनों को बढ़ावा दिया जा सके। भारतीय विदेश व्यापार नीति को भी इसके अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत अपील व पुनरीक्षण हेतु भी अनेक प्रावधान रखे गये हैं, जो निम्नलिखित हैं

(1) अपराध कार्यविधि कोड 1973 (Code of Criminal Procedure 1973) इसमें मुख्य रूप से तलाशी व अधिग्रहण के अधिकार को लिया गया।

(2) सिविल कार्यविधि कोड 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) के अन्तर्गत आपत्ति के सुनवाई के अधिकारों को सम्मिलित किया गया है।

विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 विदेशी मुद्रा नियन्त्रण की शुरुआत भारत में भारतीय सुरक्षा नियमों (Defence of India's Rules) के वित्तीय प्रावधानों के अधीन 3 सितम्बर 1939 में (विश्व-युद्ध का प्रारम्भिक काल) की गई। इसके बाद इन आपातकालीन अधिकारों को 25 मार्च 1947 में लागू हुए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (Foreign Exchange Regulation Act, 1947) के अन्तर्गत रखा गया। स्वतन्त्रता के साथ ही बदलती अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में अनेक संशोधन किये गये। अत: उन्हें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 अर्थात FERA के नाम से जाना गया। FERA में धीरे-धीरे विस्तृत संशोधनों की भी जरूरत पड़ी अत: इन्हें विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अधिनियम के द्वारा 1993 में कार्यान्वित किया, अत: बाद में विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम 1999 (FEMA) के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम की शुरुआत मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कानून को एकीकृत व संशोधित करने हेतु बनाया गया। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं

(a) विदेशी व्यापार को सुविधाजनक बनाना।

(b) भुगतान सुविधा को बढ़ावा देना।

(c) भारत के विदेशी मुद्रा बाजार को व्यवस्थित रूप से विकसित करना तथा अनुसरण को बढ़ावा देना।

इस प्रकार यह अधिनियम मुख्य रूप से निम्न प्रावधानों को महत्त्वपूर्ण मानता है

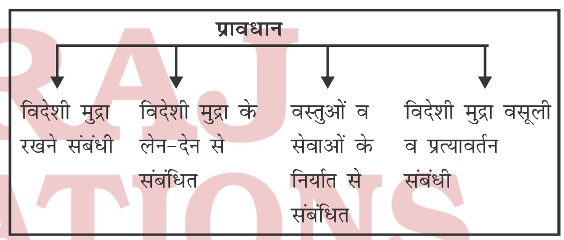

इनके अतिरिक्त इस अधिनियम में अधिकृत व्यक्ति की भूमिका, नियमों के उल्लंघन से सम्बन्धित जुर्माना आदि, अपील व अधिनिर्णयन की कार्यविधि व प्रवर्तन के निदेशालय (Directorate of Enforcement) के अधिकारों से सम्बन्धित विस्तृत नियमों को भी सम्मिलित किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा FEMA के अन्तर्गत जिन प्रावधानों को शामिल किया जाता है, उनका संशोधन भी समय-समय पर किया जाता है। इन नियमों को सम्मिलित करने वाली तीन मुख्य अधिसूचनाएँ (Notifications) होती हैं

(1) विदेशी मुद्रा प्रबन्ध (वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात) विनियम, 2000,

(2) विदेशी मुद्रा प्रबन्ध (चालू खाता लेन-देन) नियम, 2000,

(3) विदेशी मुद्रा प्रबन्ध (प्राप्ति तथा भुगतान विधि) विनियम 2000

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 को 13 दिसम्बर 1962 में लागू किया गया। सीमा शुल्क अधिनियम एक समेकित व स्वनिहित सीमा शुल्क अधिनियम था,

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

जिसके लिये तीन पूर्व अधिनियमों को रद्द किया गया। ये तीन अधिनियम निम्नलिखित थे

(a) समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878

(b) भूमि सीमा शुल्क अधिनियम, 1924

(c) वायुयान अधिनियम, 1934

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 एक व्यापक अधिनियम था, जो कि आयात-निर्यात व्यापार सम्बन्धी लेन-देनों की हर स्थिति हेतु विधिक ढाँचे, मार्गदर्शी सिद्धान्तों व कार्यविधियों के प्रावधानों से सम्बन्धित था।

इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे-

(a) राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों व उद्देश्यों के अनुसार ही आयात-निर्यात व्यापार से सम्बन्धित विशुद्ध लेन-देनों को नियमित करना।

(b) तस्करी (Smuggling) पर प्रतिबन्ध लगाना।

(c) राजस्व की उगाही करना।

अन्य कई एजेन्सियों के कार्यों को पूर्ण करना व उनकी जिम्मेदारी उठाना। व्यापार सम्बन्धी समंकों को एकत्रित करना।

इस प्रकार अलग-अलग वस्तुओं हेतु केन्द्रीय सरकार के द्वारा निश्चित की जाने वाली सीमा शुल्क की दर व प्रकृति का पूरा ब्यौरा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम व द्वितीय अनुसूची में प्रदान किया गया। यह अधिनियम आयात तथा निर्यात से सम्बन्धित है।

निर्यात (गुणवत्ता नियन्त्रण व निरीक्षण) अधिनियम 1963 इस अधिनियम की शुरुआत 1963 में व्यापारिक वस्तुओं की गुणवत्ता नियन्त्रण व पोत लदान पूर्व निरीक्षण हेतु की गई। यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार को वस्तुओं की अधिसूचित करने के अधिकार देता है। ये वस्तुएँ वे होती हैं, जिनकी गुणवत्ता का निरीक्षण निर्यात पूर्व किया जाना जरूरी होता है। साथ ही यह नियम वस्तुओं के गुणवत्ता नियन्त्रण तथा निरीक्षण प्रारूप को भी तय करता है। यह अधिनियम उन निर्यातों का विरोध करता है, जो कि अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित वर्ग नहीं आते हैं

(1) स्टार निर्यात प्रतिष्ठान।

(2) EOU इकाइयाँ तथा FTZs में स्थापित इकाइयाँ।

(3) विदेशी क्रेता से प्राप्त ऐसे पत्र के आधार पर किये जाने वाले निर्यात जिनके विषय में यह निर्धारित होता है कि इन्हें किसी सरकारी निरीक्षण एजेन्सी से पोत लदान पूर्व निरीक्षण की जरूरत नहीं है।

(4) ऐसे उत्पाद जिन पर ISI / AGMARK के चिह्न स्थापित होते हैं।

भारत सरकार ने 1 जनवरी, 1964 को एक निर्यात निरीक्षण परिषद्, 1964 (Export Inspection Council-EIC) तथा निर्यात निरीक्षण एजेन्सियों (EIAs) का गठन किया, जिनके द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियन्त्रण व निरीक्षण) अधिनियम, 1963 को सुचारु रूप से चलाया गया। EIC प्राय: सरकार हेतु गुणवत्ता नियन्त्रण व निरीक्षण सम्बन्धी विषयों की एक सलाहकार संस्था के रूप में कार्य करती है व EIAs द्वारा माल का निरीक्षण किया जाता है। यह संस्था माल के निर्यात योग्य होने का प्रमाण देती है।

इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा वर्तमान निर्यात नीति उद्योगों को वस्तुओं की गुणवत्ता सुधार हेतु प्रस्तुत किया जाता है ताकि पूरे विश्व में उच्च कोटि की उत्पादक वस्तुओं का निर्यात किया जा सके।

हर आयातित वस्तु देश की वस्तुओं पर लागू सभी कानूनों, आदेशों, नियमों तथा पर्यावरण सुरक्षा सम्बन्धी मानकों द्वारा विनियमित होती है।

विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य

विदेशी व्यापार नीति के उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं

(a) आयात नीति के द्वारा सरकार उन वस्तुओं के आयात पर नियन्त्रण करती है, जो गैर जरूरी होती हैं।

(b) निर्यात को बढ़ावा देने हेतु महत्त्वपूर्ण प्रयास किये जाते हैं। इस व्यापार नीति के मुख्यत: दो पक्ष होते हैं

(क) आयात नीति आयात नीति के पक्ष का सम्बन्ध आयातों के विनियमन तथा प्रबन्ध से होता है।

(ख) निर्यात नीति निर्यात नीति का सम्बन्ध निर्यातों को बढ़ावा देने तथा उनके विनियमन से होता है।

इस प्रकार सरकारी नीति का मुख्य उद्देश्य निर्यात का संवर्धन करना ही होता है। परन्तु यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह होती है कि वस्तुओं का निर्यात संवर्धन इस प्रकार करना चाहिये जिनकी देश में विशेष आवश्यकता होती है। उन वस्तुओं के अविनियमित निर्यातों से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न हों। इस तरह निर्यात से सम्बन्धित निर्यात नियन्त्रणों का उपयोग वस्तुओं की सीमित संख्या के सम्बन्ध में ही उपयोग किया जा सकता है ताकि इनकी पूर्ति ऐसी स्थिति में हो जिससे देश के व्यापक भाग हेतु निर्यातों का विनियमन किया जा सके। इस प्रकार निर्यात नीति के दो उद्देश्यों को मुख्य माना गया है निर्यातों के संवर्धन के साथ विदेशी मुद्रा अर्जन को बढ़ावा देना तथा भारत के निर्यातकों की आपस में होने वाली प्रतियोगिताओं को रोकने हेतु या आवश्यक वस्तुओं को देश की जनता को उचित दामों पर उपलब्ध कराने हेतु जरूरी निर्यातों का विनियमन करना।

इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार नीति के अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं

(1) भारत सरकार ने वर्ष 1991 में विदेशी व्यापार नीति की घोषणा की। इसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 1992 में एक नई निर्यात नीति लागू की गई, जो EXIM के नाम से जानी गई। यह नीति भारत में आर्थिक सुधारों हेतु बनाई गई थी। इस नीति का काल पाँच वर्ष था। इस नीति से आयात उदारीकरण भी किया गया।

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

(2) निर्यातों के संवर्धन हेतु इस नीति में साधनों को और अधिक प्रभावशाली बनाया गया व देश के औद्योगिक उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाये गये।

(3) निर्यात तथा आयात सम्बन्धित नीतियों में मुख्यत: कुछ वस्तुओं पर विशेष ध्यान दिया गया था, जो निम्नलिखित थे

(a) शुल्क मुक्त निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल (EPCG) योजना की शुरुआत करना।

(b) अग्रिम लाइसेंस प्रणाली में मजबूती लाना।

(c) निर्यात राशि की वसूली की शर्त का अधित्जकन अर्थात Waiver करना।

(d) EOU व EPZs में स्थापित इकाइयों से सम्बन्धित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाना।

EXIM में विभिन्न कार्यविधियों को अत्यन्त सरल बनाया गया। साथ ही निर्यातकों को विदेश व्यापार के महानिवेशकों (Director General of Foreign Trade) के कार्यालय में जो कार्यवाहियाँ करनी थीं, उनको कम किया गया। अत: आयातों को बढ़ाकर निर्यात संवर्धन के प्रयास किये गये।

सरकार ने जिन नीतियों की घोषणा की बाद में उनके उदारीकरण की प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया। विदेशी व्यापार नीति का एक सर्वसमावेशी प्रलेख 2004 से 2009 की अवधि के लिये तैयार किया गया। इस नीति के उद्देश्यों में आर्थिक तथा सामाजिक विकास को मुख्य माना गया। साथ ही यह भी माना गया कि व्यापार एक अन्तिम उद्देश्य नहीं वरन यह सिर्फ आर्थिक संवृद्धि तथा राष्ट्रीय विकास का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा कमाने के साथ आर्थिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देना है। इस नीति के अन्तर्गत दो मुख्य उद्देश्य रखे गये

(i) विश्व वस्तु व्यापार में देश का प्रतिशत भाग 5 साल के दौरान दुगुना करना।

(ii) रोजगार उत्पत्ति पर बल देकर इसे आर्थिक संवृद्धि का प्रभावशाली माध्यम बनाना।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित युक्तियों का एक व्यापक पैकेज बनाया गया

(1) नियन्त्रणों के अवशोधन व इनमें पारदर्शिता का वातावरण उत्पन्न करना ताकि व्यवसायियों, उद्योगपतियों तथा व्यापारियों की उद्यमवृति को दर्शाना व उत्पन्न करना।

(2) कार्यविधियों को सरल बनाकर लेन-देन की लागतों को कम करना।

(3) निर्यात होने वाली वस्तुओं की आगतों (Inputs) पर समस्त करों तथा शुल्क भारों को कम करना।

(4) भारत का उत्पादन, व्यापार व सेवाओं को एक विश्व व्यापी केन्द्र के रूप में बढ़ावा देना तथा सुविधाओं को बढ़ावा देना।

(5) भारत की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र, विशेषत: पूँजीगत पदार्थों व उपकरणों के आयात से तकनीकी व आधिकारिक संरचना को बढ़ावा देना व इनके उन्नयन को सुविधाजनक बनाना अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता बढ़ाकर इसकी उत्पादकता व उपयोगिता में वृद्धि करना।

(6) ऐसे विशिष्ट उद्‌गम केन्द्रों, जिसमें विशेषत: ग्रामीण व अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के पूर्ण अवसर दिये जायेंगे, उनकी पहचान तथा पोषण सम्बन्धी नीतियाँ विकसित करना।

(7) सम्पूर्ण विश्व व्यापार शृंखला से सम्बन्धित आधारिक संरचना नेटवर्क, भौतिक व आभासी दोनों शृंखलाओं को राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ावा देना।

(8) सर्पित कर संरचना (Inverted Duty Structure) से सुरक्षा कर यह आश्वासन देना कि देशीय क्षेत्र मुक्त व्यापार समझौतों व जो प्राथमिक व्यापार समझौते भारत द्वारा निर्यात वृद्धि हेतु किये गये हैं, उन्हे घाटा प्राप्त न हो, इसका ध्यान रखना।

(9) व्यापार बोर्ड को मजबूती प्रदान करना।

(10) भारतीय दूतावास को निर्णय विषयक रचना कौशल के मुख्य कर्त्ता के रूप मे सक्रियता प्रदान करना व वास्तविक समय व्यापार असूचना तथा पूछताछ प्रसार हेतु विदेश मे स्थित व्यापारिक कक्षों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया से जोड़ना।

पंजीकरण औपचारिकताएँ तथा निर्यात लाइसेन्स

जब वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, तो प्रत्येक निर्माता को पंजीकरण औपचारिकताएँ निभाकर एक आयातक-निर्यातक कोड (IEC) संख्या व पंजीकरण सहित सदस्यता का प्रमाण पत्र (RCMC) लेना पड़ता है। ये दोनों कोड लेने हेतु निर्माता को निम्नलिखित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है

***(a)* आयातक-निर्यातक कोड संख्या (Importer-Exporter Code Number-IEC)**–जब किसी निर्माता के द्वारा आयात-निर्यात किया जाता है तो उसे IEC अर्थात् आयात-निर्यात कोड संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है। इस संख्या के बिना व्यक्ति/निर्माता तब तक निर्यात नहीं कर सकता, जब तक कि उसे विशेष अधिकार अथवा छूट प्राप्ति न हो। IEC प्राप्ति के लिये आवेदकों को पंजीयन प्रधान कार्यालय के द्वारा निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ विदेशी व्यापार के क्षेत्रीय महानिदेशक (Director General of Foreign Trade) को आवेदन पत्र जमा कराने होते हैं। इन आवेदन पत्रों में निम्नलिखित प्रमाणों को जमा करना अनिवार्य होता है

(1) निर्धारित फार्म पर आवेदन जिसमें अन्य विवरण के साथ निर्यातक-आयातक की पश्विका (Profile) सम्मिलित होती होती है।

(2) जो फीस जमा की गई हैं, उसकी बैंक रसीद की दो प्रतियाँ प्राप्त करना।

(3) आवेदकों हेतु बैंक द्वारा प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

(4) बैंक द्वारा अनुप्रमाणित प्रार्थी के फोटो की तीन प्रतियाँ दी जाती हैं।

www.neerajbooks.com